बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 199648 / पटना, दिनांक 04/09/14

सं0सं0-ग्रा0वि0-6/सी0ए0-03-03/2013

प्रेषक,

बन्दना प्रेयषी, भा0प्र0से0,
आयुक्त स्वरोजगार ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
पूर्वी चंपारण, जमुई, पटना, रोहतास, सहरसा एवं समस्तीपुर ।

विषय:- **अंकेक्षण फर्मो को नियुक्ति कर विभाग को नियुक्ति पत्र के साथ अंकेक्षण कैलेण्डर उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 197115 दिनांक- 21.08.2014, पत्रांक- 194378 दिनांक- 28.07.2014, पत्रांक- 191709 दिनांक- 10.07.2014 एवं पत्रांक- 185000 दिनांक- 07.05.2014

महाशय,

उपरोक्त पत्रों का निदेश किया जाय । दिनांक- 30.08.2014 को पटना में उप विकास आयुक्तों के साथ अधोहस्ताक्षरी के साथ हुए समीक्षात्मक बैठक में सभी उप विकास आयुक्तों से विषयात्मक प्रतिवेदन अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जो अबतक आपके द्वारा नहीं भेजा गया है ।

विदित है कि भारत सरकार के द्वारा अंकेक्षण संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए अंतिम तिथि दिनांक- 30.09.2014 निर्धारित की गयी है । अंकेक्षण संबंधी प्रतिवेदन ससमय भारत सरकार को उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इसका सीधा प्रभाव विभिन्न विकास कार्यक्रमों / योजनाओं के केन्द्रांश के रूप में मिलने वाली राशि पर पड़ेगा तथा उसका उचित रूप से समय पर व्यय नहीं किया जा सकेगा । फलस्वरूप आगामी वर्ष में राशि की कटौती संभव है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति अविलम्ब कर के समयबद्ध अंकेक्षण कैलेण्डर उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना विभाग को तुरंत भेजी जाय । साथ ही अंकेक्षण संबंधी प्रगति प्रतिवेदन विभाग के ई-मेल: के साथ-साथ मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी के ई-मेल: manojkumarosdrdd@gmail.com पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

कृप्या इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

4/9/14

(बन्दना प्रेयषी)
आयुक्त स्वरोजगार

ज्ञापांक 199648 / पटना, दिनांक 04/09/14

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अंकेक्षण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराये ।

4/9/14

आयुक्त स्वरोजगार

Letter No- 67 CA (D.Drive) Helpline No 18001208801